HRA AN USIUSI The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 512]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 28, 2014/फाल्गुन 9, 1935

No. 512]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 28, 2014/PHALGUNA 9, 1935

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय अधिसचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2014

का.आ. 601(आ).—अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 (1956 का 25) की धारा 6 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 4 के खंड (ड.) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतदद्वारा श्री लव वर्मा, सिचव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली को श्री केशव एन देसिराजु के स्थान पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली का सदस्य मनोनीत करती है तथा उस प्रयोजनार्थ का.आ. 792 (अ), दिनांक 20 मार्च, 2013 के तहत भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना संख्या वी. 16011/1/2009-एम.ई-I दिनांक 20 मार्च, 2013 में निम्नलिखित संशोधन करती है:—

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 2 एवं उससे संबंधित प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित क्रम संख्या एवं प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जानी चाहिए, अर्थात्:

"2. श्री लव वर्मा, सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली।"

> [फा.सं. वी-16011/1/2009-एम.ई-I] संदीप कुमार नायक, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी: मुख्य अधिसूचना का.आ. 792 (अ), दिनांक 20-03-2013 के तहत भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February, 2014

S.O. 601(E).—In exercise of the powers conferred by clause (e) of Section 4, read with sub-section (3) of Section 6 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956 (25 of 1956), the Central Government hereby nominates Shri Lov Verma, Secretary, Ministry of Health & Family Welfare, New Delhi to be a member of All India Institute of Medical Sciences, New Delhi in place of Shri Keshav N. Desiraju and for that purpose makes the following amendment in the notification of Government of India in the Ministry of Health & Family Welfare, number V-16011/1/2009-ME-I dated the 20th March, 2013, published in the Gazette of India Part II, Section 3, Sub-Section (ii) vide S.O. 792 (E) dated 20th March, 2013:—

In the said notification, for serial number 2 and the entry relating thereto, the following serial number and entry should be substituted, namely:—

"2. Shri Lov Verma, Secretary, Ministry of Health & Family Welfare, New Delhi."

[F. No. V-16011/1/2009-ME-I] SUNDEEP KUMAR NAYAK, Jt. Secy.

Foot Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* S.O. 792(E), dated 20-03-2013.